राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : गुसप्र / 2020 / 150

दिनांक : 10/6/2020

कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 242वीं बैठक जो दिनांक 10.06.2020 को सम्पन्न हुई, के निर्णय बिंदु संख्या 242.20 में मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के पास अतिरिक्त भू–पट्टी की आवंटन दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

1. आवंटित आवास में आधिक्य (Surplus/excess/extra) भूमि होने पर आधिक्य भूमि की दर भी आवास की भूमि की दर के समान रहेगी।
2. अतिरिक्त भू–पट्टी की आवंटन दर प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुणा होगी।
3. अतिरिक्त भू–पट्टी के संबंध में लीज राशि आवासीय आरक्षित दर पर 2.5 प्रतिशत की दर से वसूल की जावेगी।
4. अतिरिक्त भू–पट्टी के आवंटन पश्चात् मूल भूखण्ड / मकान का जो भी क्षेत्रफल होगा, उस पर प्रचलित भवन निर्माण विनियमों के अनुसार निर्माण की अनुमति दी जावेगी।
5. उपरोक्तानुसार सभी पुराने (जिनमें अभी तक भुगतान नहीं हुआ है) तथा नये प्रकरणों के लिए ये शिथिलताऐं प्रथमतः दिनांक 31.12.2020 तक की जावेगी। इस हेतु प्रचार–प्रसार कर कैम्प लगाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

पात्र आवंटी निर्धारित आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क रू. 25,000/– दिनांक 31.08.2020 तक संबंधित कार्यालय में जमा करवाकर लाभ उठा सकते हैं। (अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 04.12.2009 में निर्दिष्ट शर्तें लागू रहेगी।) 50 वर्ग मीटर तक की भू–पट्टियों का आवंटन पूर्व आदेश क्रमांक 972 दिनांक 25.11.2019 अनुसार उप आवासन आयुक्त स्तर से जारी की जावें व 50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भू–पट्टी आवंटन के प्रकरण उप आवासन आयुक्त की अनुषंशा व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक की तकनीकी राय के साथ "सम्पत्ति आवंटन समिति" के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें। अतिरिक्त भू–पट्टियों को मूल भूखण्ड में सम्मिलित करने के उपरान्त नियमानुसार सैटबैक छोड़ते हुए मानचित्र अनुमोदन एवं निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

संलग्न :– निर्धारित आवेदन पत्र

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

Scanned with CamScanner

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र

भाग – अ

फोटो

1. वृत्त का नाम :– ....
2. योजना/शहर का नाम :–..
3. आवेदक का नाम :– ....
4. पिता का नाम :– ....
5. आवंटित आवास संख्या :– ....
6. आय वर्ग व माप :– ....
7. अतिरिक्त भू–पट्टी का विवरण व माप :–...
8. आवास के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत (अतिरिक्त भू–पट्टी) :– ....
9. अतिरिक्त भू–पट्टी पर निर्माण की स्थिति :–...
10. अतिरिक्त भू–पट्टी जिसमें मूल आवास भी प्रदर्शित हो, का मानचित्र (तीन प्रतियाँ) संलग्न करे :–...
11. आवास के पक्ष में जमा राशि का विवरण :– ....
    (अ) अदेय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे :–..
    (ब) लीज की स्थिति लीज मुक्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे :–......................................
12. निर्धारित प्रशासनिक शुल्क जमा का विवरण :–...

(अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 04.12.2009 एवं 972 दिनांक 25.11.2019 में निर्दिष्ट शर्तें लागू रहेगी।)

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक :– **आवेदक के हस्ताक्षर**

भाग – ब
(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदक द्वारा आवेदित अतिरिक्त भू–पट्टी की स्थिति :–...
....
....

परियोजना अभियंता वरिष्ठ

भाग – स
(प्राप्ति रसीद)

आवेदक का नाम :–.. **पिता का नाम :–**..
आवास संख्या :–........................ **योजना/शहर का नाम :–**...
निर्धारित शुल्क के जमा का विवरण सहित व पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

दिनांक :– प्राप्ति रसीद मय कार्यालय मोहर

Scanned with CamScanner